द– विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों के दायित्व

विद्यालय में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा सम्बन्धित कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की दृष्टि से प्राथमिक से लेकर सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों के दायित्व/जॉब–चार्ट निम्नानुसार रहेंगे :–

अ– कालांश व्यवस्था

1– शारीरिक शिक्षक को अन्य सामान्य अध्यापकों की पद श्रेणी के अनुसार शारीरिक शिक्षा विषय के कालांश लेने होंगे।

पदवार कालांश आवंटन निम्नानुसार रहेगा:–

(1) तृतीय श्रेणी शा.शि.– 42 कालांश प्रति सप्ताह

(2) द्वितीय श्रेणी शा.शि.– 36 कालांश प्रति सप्ताह

(3) व्याख्याता–शा.शि.– 30 कालांश प्रति सप्ताह

2– उपरोक्त कालांश का कक्षावार निम्नांकित रूप से शारीरिक शिक्षकों को आवंटित होंगे :–

(1) कक्षा 1 से 5 – 6 कालांश प्रति सप्ताह प्रति कक्षा

(2) कक्षा 6 से 8 – 4 कालांश प्रति सप्ताह प्रति कक्षा

(3) कक्षा 9 से 10 –2 कालांश प्रति सप्ताह प्रति कक्षा

(4) कक्षा 11 से 12–2 कालांश प्रति सप्ताह प्रति कक्षा

3– उपरोक्त कालांश में से निम्नांकित कार्यों हेतु उनके सामने अंकित संख्यानुसार कालांश को आवंटित कालांशों में सम्मिलित समझा जायेगा :–

1- प्रार्थना सभा पश्चात् शाला में स्वास्थ्य वातावरण का निरीक्षण हेतु — 1कालांश प्रति सप्ताह

2– शारीरिक शिक्षक जिसे खेल प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है उसे सामग्री के रख–रखाव हेतु — 1 कालांश प्रति सप्ताह

3– सायंकालीन समय में यदि शा.शि. कार्यक्रम जैसे–खेल,सामूहिक व्यायाम, योग शिक्षा, भारतीयम, अन्तर सदनीय प्रतियोगिता आदि सम्पादित करने पर — 3 कालांश प्रतिदिन

4– उपरोक्त समस्त कालांश लेने के पश्चात् यदि शारीरिक शिक्षा अध्यापक के समय विभाग चक्र में निर्धारित कालांश पूरे न होने पर अन्य सामान्य विषयों के कालांश देकर पूर्ण किये जायेंगे।

ब– वार्षिक योजना

उपरोक्त कालांशानुसार अपने कार्यक्रम की वार्षिक योजना पाठ्यक्रमानुसार तैयार कर सत्र प्रारम्भ में ही संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे। कक्षावार पाठ्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :–

1– कक्षा 1 से 8 – "स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा" शीर्षक के अन्तर्गत "शिक्षा क्रम" में वर्णित

2– कक्षा 9 से 10 – "स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा" संदर्शिका में वर्णित

3– कक्षा 11 से 12– शिक्षा निदेशालय के द्वारा प्रसारित पाठ्यक्रम ।

स– शारीरिक शिक्षक के कार्य क्षेत्र

1. शाला की प्रार्थना सभा के कार्यक्रम को सम्पादित करना।
2. शाला के स्वास्थ्य वातावरण का निरीक्षण करना।
3. विद्यालय में मनाये जाने वाले राष्ट्रीय पर्व, विभिन्न उत्सवों के आयोजन का सामान्य अध्यापक की भांति कार्य सम्पादित करना।
4. सत्र में दो बार (जुलाई एवं मार्च) में छात्रों के स्वास्थ्य का परीक्षण अधिकृत चिकित्सक से करायेंगे तथा उसका पूर्ण अभिलेख रखेंगे।
5. छात्रों की स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रगति उनके अभिभावकों को समय–समय पर देना।
6. अन्य अध्यापकों की भांति शारीरिक शिक्षक भी विभागीय निर्देशानुसार दैनिक पंजिका पूर्ण करेंगे।
7. शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं आवंटित कालांशानुसार वार्षिक योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना।
8. शाला में उपलब्ध–मैदान तथा उपकरणों की सुविधानुसार सायंकालीन समय हेतु खेलकूद कार्यक्रम बनाना तथा उनका सम्पादन करना ।
9. अन्य विषयों की तरह जिला समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत "स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा" विषय की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा लेकर मूल्यांकन करना।
10. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के व्यवस्थित एवं सफल

संचालन के दायित्व का निर्वहन करना।

11. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों की पालना करना।

3.3.9 डाइट में कार्यरत अधिकारियों के कार्यवत (जॉब–चार्ट)

(2) जिले में आयोजित सभी स्तर की वाक्पीठ की बैठकों में भाग लेकर मार्गदर्शन करना।

5– प्रकाशन

Scanned by CamScanner